राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – राजपाल यादव, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र सं. 09/2017

1. बसन्ती देवी पुत्री सांवलराम पत्नी औंकारमल
2. कमला देवी पुत्री सांवलराम पत्नी औंकारमल जाति गुर्जर निवासी देवता हाल आबाद नायन तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ हरि0
3. बिमला देवी पुत्री सांवलराम पत्नी छाजलूराम जाति गुर्जर निवासी देवता हाल आबाद मूसणुता तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़, हरि0

........प्रार्थीयागण

ब–ना–म

1. प्रताप सिंह पुत्र सांवलराम उम्र 80 वर्ष
2. रामजीलाल पुत्र सांवलराम उम्र 60 वर्ष
3. पूर्ण सिंह पुत्र रूघवीर उम्र 20 वर्ष
4. मुकेश पुत्र रूघवीर उम्र 18 वर्ष
5. ताराचन्द पुत्र सांवलराम उम्र 55 वर्ष जाति गुर्जर निवासी देवता तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
6. मंगेज सिंह पुत्र प्रताप सिंह उम्र 36 वर्ष जाति गुर्जर निवासी देवता तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
7. उप पंजियक, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.......अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र– अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय **दिनांक 26–02–2021**

प्रार्थीयागण की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम देवता पटवार हल्का जसरापुर स्थित भूमि खाता सं. 95 के ख.नं. 199 रकबा 0.66 है., ख. नं. 226 रकबा 1.62 है., ख.नं. 228 रकबा 0.85 है. कुल किता 3 कुलरकबा 3.13 है. का खातेदार प्रार्थीयागण व अप्रार्थी सं. 1, 2, 5 व हरिराम का पिता व अप्रार्थी सं. 3 व 4 का दादा स्व. सांवल था। उक्त सांवल की मृत्यु हो गई। स्वं. सांवल की उपरोक्त वर्णित भूमि में उसकी मृत्यु के समय उसकी पुत्री प्रार्थीयागण बसन्ती देवी, कमला देवी, बिमला देवी व पुत्र प्रतापसिंह, रामजीलाल, हरिराम, रूघवीर व ताराचन्द का प्रत्येक का 1/8, 1/8 हिस्सा हुआ। वर्णित भूमि प्रार्थीयागण के पिता की खातेदारी भूमि रही है इस प्रकार उक्त भूमि प्रार्थीयागण की पैतृक भूमि है। प्रार्थीयागण मृतक सांवल की जायन्दा पुत्री हैं व अप्रार्थी सं. 1, 2, 5 व हरिराम व रूघवीर मृतक सांवल के पुत्र है। इस कारण पैतृक सम्पति में प्रार्थीयागण व अप्रार्थी सं. 1, 2, 5 व हरिराम व रूघवीर का जन्म से ही को–पार्सनर होने के कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत हक व हिस्सा है। इस प्रकार उक्त वाद वर्णित भूमि में प्रार्थीयागण का संयुक्त रूप से 3/8 (प्रत्येक का 1/8, 1/8) हिस्सा व अप्रार्थी सं. 1 का 1/8 व अप्रार्थी सं. 2 का 1/8 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 5 का 1/8 हिस्सा, हरिराम का 1/8 हिस्सा, व रूघवीर का 1/8 हिस्सा है। रूघवीर फौत हो गया है जिसके वारिशान अप्रार्थी सं. 3 व 4 है तथा हरिराम नाऔलाद फौत हो गया है। प्रार्थीयागण उक्त

उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी (झुन्झुनूं)

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

वाद वर्णित भूमि पर अपने पिता के समय से ही काबिज काश्त है तथा प्रार्थीयागण का विवाह होने के पश्चात् वे अपने हिस्से की भूमि को कभी स्वयं काश्त करती रही है व कभी अपने भाईयों से बंटाई पर काश्त करवाती रही है व अपना बंटाई का हिस्सा प्राप्त करती रही है। प्रार्थीयागण का उक्त भूमि में उनके पिता के समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा प्रार्थीयागण का उनके पिता की मृत्यु के बाद उक्त भूमि में संयुक्त रूप से 3/8 हिस्सा है तथा प्रार्थीयागण उक्त भूमि का रिकार्ड दुरूस्त करवाकर अपने को संयुक्त रूप से 3/8 हिस्से की खातेदार घोषित करवाने की अधिकारी हैं। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 5 को उक्त वाद वर्णित पैतृक सम्पति को बेचान, रहन, दान व अन्य किसी प्रकार से खुर्द बुर्द करने का एवं प्रार्थीयागण के हिस्से में बाधा पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है तथा वैसे भी अप्रार्थी सं. 1, 2, व 5 का उक्त विवादित पैतृक भूमि में सिर्फ 3/8 हिस्सा ही बनता है व अप्रार्थी सं. 3च 4 का भी 1/8 हिस्सा बनता है तथा मृतक हरिराम का भी 1/8 हिस्सा ही था इसलिये अप्रार्थी सं. 6 का भी 1/8 हिस्सा ही बनता है तथा वह अपने हिस्से से अधिक भूमि पर कब्जा नहीं कर सकते व उसको किसी प्रकार से खुर्द बुर्द नहीं कर सकते। यदि अप्रार्थी सं. 1 लगायत 6 अपने नाम से दर्ज रिकार्ड के आधार पर उक्त भूमि को बेचान, रहन, दान आदि कर देते हैं व प्रार्थीयागण को उनके हिस्से की भूमि काश्त नहीं करने देते हैं तो प्रार्थीयागण अपने हक व अधिकारो से व अपनी पैतृक भूमि से वंचित हो जायेगी जिससे प्रार्थीयागण को ऐसी अपूर्णनीय क्षति होती जिसका मुद्रा में मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा। प्रार्थीयागण का यह प्रथम दृष्टया मामला है व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीयागण का है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि–

(क) अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 6 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे दौराने दावा विवादित भूमि ग्राम देवता पटवार हल्का जसरापुर स्थित भूमि खाता सं. 95 के ख.नं. 199 रकबा 0.66 है., ख.नं. 226 रकबा 1.62 है., ख.नं. 228 रकबा 0.85 है. कुल किता 3 कुल रकबा 3.13 है. को गलत रिकार्ड के आधार पर किसी अन्य को बेचान, रहन, दान आदि ना करे व अन्य किसी भी प्रकार से हस्तांतरित नहीं करें एवं प्रार्थीयागण के 3/8 हिस्से के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा पैदा ना करें व उनके हिस्से की भूमि पर कब्जा ना करें। ऐसा कृत्य ना तो स्वयं करें व न ही अपने परिजनों, अनुचरो आदि से करवायें।

(ख) अप्रार्थी सं. 7 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि अप्रार्थी सं. 1 लगायत 6 दौराने दावा ग्राम देवता पटवार हल्का जसरापुर स्थित भूमि खाता सं. 95 के ख.नं. 199 रकबा 0.66 है., ख.नं. 226 रकबा 1.62 है., ख.नं. 228 रकबा 0.85 है. कुल किता 3 कुल रकबा 3.13 है. का विक्रय पत्र, दान पत्र, रहननामा या अन्य हस्तान्तरण पत्र का दस्तावेज पंजीयन हेतु पेश करे तो उसे पंजीयन नहीं करें। ऐसा कृत्य न तो स्वयं करें व न ही अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से करवायें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी सं. 1 व 6 को जवाब प्रार्थना पत्र हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर अप्रार्थी सं. 1 व 6 का अवसर जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया। शेष अप्रार्थीगण बावजूद सम्यक् सूचना अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीयागण ने तर्क किया कि हमारा दावा घोषणा का है, हमारे नाम भूमि दर्ज होनी है, दावे के फैसले तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करें।

Riy

Scanned with CamScanner

अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 व 6 का तर्क है कि वादग्रस्त भूमि हमारी खरीद शुदा है जिसको हम रहन, बेचान कर सकते हैं। हमने हरिराम व ताराचन्द से जरिये विक्रय पत्र खरीदी है। प्रार्थीयागण ने दावा बहुत विलम्ब से पेश किया है। प्रार्थीयागण का कब्जा काश्त नहीं है। हमारे विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जावे।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि पक्षकारा की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। इसलिए वाद में वर्णित घोषणात्मक, खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा अनुतोष का निर्धारण विस्तृत साक्ष्य एवं रिकॉर्ड के आधार पर किया जाना उचित होगा। प्रार्थना पत्र में विचाराणीय बिन्दु प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति को दृष्टिगत रखते हुए उभय पक्षकारान को ताफैसला वाद पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः यह न्यायालय उभय पक्षकारान को ताफैसला वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करता है कि वे ग्राम देवता स्थित भूमि खाता सं. 95 के ख.नं. 199, 226, 228 किता 3 कुल रकबा 3.13 है. के रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

निर्णय आज दिनांक 26–02–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

Scanned with CamScanner